# FORM NO III

(नियम 133)

अज अदालत, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़

अनवान :- श्रीमति अमरजीत कौर बनाम महेन्द्रकौर आदि

धारा - इजराय मुकदमा नं0 - 12 / 2018

| | हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ। |
|---|---|---|
| 018 | वकील डिक्रीदार द्वारा ईजराय पेश की गई। बाद कार्यालय टिप्पणी के ईजराय दर्ज रजिस्टर की जावे तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ को आदेश दिया जावे कि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो नियामानुसार डिक्री की पालना की जावे। पत्रावली दिनांक 30.4.2018 को पेश हो। | 30.4.18 द्वारा डिक्री की पालना में की गई |

5/10 पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प इनलीयाना उपुन्ह पेश हुई। मुताबिक रिपोर्ट ए.ई.ओ. इ.स.ऽऽ2 दर्ज हो चुका है इकराम का मसला चुकीट पत्रावली समझौता फैसला हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner